दिनांक 13 अगस्त, 2008

प्रिय प्रधानमंत्री जी,

हर वर्ष अमरनाथ के पवित्र मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि के हस्तांतरण से सम्बन्धित मुद्दे पर मैं काफी निराश होकर आपको यह पत्र लिख रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से मौन धारण कर लिया है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार इस समस्या को हल करने के प्रति गंभीर नहीं है।

जम्मू संभाग की जनता ने राज्य प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में काफी भेदभाव से पीड़ित रही है। जनगणना सही और नियमित ढंग से नहीं की गई है। परिसीमन को टाला जा रहा है; जम्मू की जनता के साथ रोजगार के मामले में, निधियों के वितरण में तथा क्षेत्र के विकास में भेदभाव किया जाता है। उनसे हर मौके पर कहा जाता है कि कश्मीर घाटी की एक 'मानसिकता' है और सरकार को उस मानसिकता के आगे झुकना पड़ता है और यदि जम्मू के लोगों के साथ निष्पक्षता दिखाई गई तो घाटी की 'मानसिकता' को ठेस पहुंचेगी। हमने बार–बार कहा है कि जम्मू के लोग ऐसा और अधिक सहन नहीं कर सकते कि उन्हें इस मानसिकता का लिहाज करना पड़े और उसके आगे झुकना पड़े। हाल की घटनाओं से देखा गया है कि जम्मू के लोग शासन और क्षेत्र के विकास, दोनों मामलों में अपनी उचित हिस्सेदारी का दावा करने पर कृत–संकल्प हैं।

इस बात को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि आज जम्मू और कश्मीर की समस्या हिन्दू बनाम मुस्लिम नहीं है; और न ही यह जम्मू क्षेत्र बनाम घाटी की ही है। यह अनिवार्य रूप से राष्ट्रवादी बनाम अलगाववादी है। शेष भारत से समर्थन प्राप्त जम्मू के लोग पूरी तरह से ऐसा महसूस करते हैं कि मंत्रिमंडल के आदेश को पूरी तरह से अलगाववादी दबावों के कारण रद्द किया गया था। अलगाववादियों को खुश करने के फलस्वरूप राष्ट्रवादी जनमत द्वारा अलग–थलग महसूस करने से भारतीय जनमत की भावना को भारी ठेस और गहरी चोट पहुंची है।

जम्मू के लोगों का विरोध राष्ट्रवादी रहा है; उन्होंने विरोध जताते समय भी राष्ट्रीय ध्वज को अपने दिल से लगाए रखा। उन्होंने अपनी मातृभूमि और भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए। इसी वजह से सेना और सुरक्षा बल को कर्फ्यू लगाने में कठिनाई हो रही है। क्या राष्ट्रवादियों के इस समूह को उन अलगाववादियों

के बराबर माना जा सकता है जो हमारे देश के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। यही गलती सरकार करती आ रही है।

प्रश्न यह खड़ा किया जा रहा है कि वर्तमान समस्या को किस तरह से हल किया जाए। यदि सरकार इस समस्या को हल करने के प्रति वास्तव में गंभीर है तो उसे सीधे कार्रवाई करनी पड़ेगी। कानून और न्यायिक आदेशों का पालन करते हुए ही आप सही हल ढूंढ सकते हैं।

जम्मू व कश्मीर विधानसभा का एक अधिनियम है जिसे 'जम्मू व कश्मीर श्री अमरनाथजी श्राइन अधिनियम, 2000' कहते हैं। इस अधिनियम जिसमें श्राइन बोर्ड के गठन का प्रावधान है, में भी बोर्ड के कार्यों की व्याख्या की गई है। अधिनियम के अनुच्छेद 16 को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :

16. <u>बोर्ड के कार्य</u>

इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गए किन्हीं उप–नियमों के अधीन रहते हुए बोर्ड का यह कार्य होगा :–

(क) पवित्र श्राइन में सही ढंग से पूजा–अर्चना की व्यवस्था करना;

(ख) तीर्थयात्रियों द्वारा सही ढंग से पूजा करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराना;

(ग) निधियों, कीमती वस्तुओं तथा जेवरों की सुरक्षित देखभाल तथा बोर्ड की निधियों के रख–रखाव की समुचित व्यवस्था करना;

(घ) श्राइन और इसके आसपास के क्षेत्र से सम्बन्धित विकास कार्य करना;

(ड.) वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उचित वेतन के भुगतान की व्यवस्था करना;

(च) तीर्थयात्रियों को धार्मिक निर्देशों और सामान्य जानकारी देने का समुचित प्रबन्ध करना;

(छ) उपासकों और तीर्थयात्रियों के हित के लिए निम्नलिखित कार्य करना :

(i) उनके ठहरने के लिए भवनों का निर्माण करना;
(ii) स्नानघरों और शौचालयों का निर्माण करना;
(iii) संचार व्यवस्था में सुधार करना।

(ज) उपासकों और तीर्थयात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(झ) उन सभी बातों की व्यवस्था करना जो पवित्र श्राइन के कारगर प्रबन्ध, रख–रखाव तथा संचालन के लिए और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रासंगिक और सहायक हों।

स्पष्ट है कि तीर्थयात्रियों द्वारा पूजा–अर्चना करने के लिए सुविधाएं जुटाना; श्राइन के आसपास विकास कार्य करना; तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए भवनों का निर्माण करना; यात्रियों को शौचालय आदि की सुविधाएं मुहैया कराना; संचार व्यवस्था करना; तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना आदि श्राइन बोर्ड का काम है। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह श्राइन बोर्ड को अपने कार्यों को सही ढंग से करने के लिए प्रभावी बनाए।

यह अधिनियम भारत की पंथनिरपेक्ष राज्य–व्यवस्था के अनुरूप है। सरकार न तो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करती है और न ही उनका प्रबन्ध करती है। यह काम प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय पर छोड़ा गया है। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 26 तथा 27 के प्रावधानों में निहित है जिसे नीचे दिया जा रहा है :–

अनुच्छेद 26

धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता

लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को–

(क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,
(ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का,
(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और
(घ) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का, अधिकार होगा।

अनुच्छेद 27

किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं।

अनुच्छेद 26 में यह आदेश दिया गया है कि यह धार्मिक संस्थाओं पर निर्भर है कि वह अपने धार्मिक स्थानों की स्थापना करे और उनका रख–रखाव करें तथा अपने धर्म के मामलों को देखे। उन्हें कानून के अनुसार चल और अचल परिसम्पितयां अर्जित करने तथा उनका संचालन करने का हक है। संविधान के अनुच्छेद 26 के कारण यह स्पष्ट है कि सिख गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी सिख धार्मिक संस्थाओं के मामलों को देखती है, वक्फ बोर्ड मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के मामलों को देखता है और श्राइन बोर्ड तथा विभिन्न धार्मिक धर्मदाय सांविधिक अधिनियमों के तहत हिन्दू धार्मिक संस्थाओं का प्रबन्ध–कार्य देखते हैं।

अनुच्छेद 27 में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पंथ–निरपेक्ष राज्य करदाताओं के धन को धार्मिक प्रयोजनों पर खर्च नहीं कर सकता। यह अंशदान धार्मिक विशेष से सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा जुटाया जाना है जिसे धार्मिक कार्यकलाप चलाने पर खर्च किया जाएगा। इसी वजह से इस अधिनियम के तहत गठित जम्मू और कश्मीर श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि श्राइन बोर्ड तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा धार्मिक श्राइन की देखभाल करने के कार्यों को स्वयं कर सके। चूंकि यह मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है इसलिए जलवायु परिस्थितियों के अनुसार वहां पर यह कार्य करना जरूरी है। राज्य का कर्तव्य है कि वह श्राइन बोर्ड को भूमि उपलब्ध कराए ताकि बोर्ड द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके।

सरकार के किसी भी निर्णय का प्रभाव यह है कि श्राइन बोर्ड इन सुविधाओं को मुहैया नहीं करा पायेगा और यह कि उन्हें सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 26 और 27 और 'जम्मू व कश्मीर श्री अमरनाथजी श्राइन अधिनियम 2000', दोनों के ही अक्षरशः विपरीत है। चूंकि जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार श्राइन बोर्ड के कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं कर रही थी इसलिए जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 15–4–2005 को एक विस्तृत निर्णय दिया जिसमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सरकार को कुछ निर्देश जारी किए। सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में माननीय एकल न्यायाधीश ने यह फैसला दिया कि :

> 'चूंकि श्राइन बोर्ड यात्रा के मार्ग में तथा विभिन्न स्थानों पर इन्फ्रास्ट्रेक्चर खड़ा करना चाहता है इसलिए राज्य सरकार, यदि यात्रा के लिए विकास कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है तो बोर्ड द्वारा भूमि के इस्तेमालकर्ताओं को तत्काल अनुमति दे। मुझे बताया गया है कि वन विभाग ने इस प्रयोजन के लिए बोर्ड को पहले ही मंजूरी दे दी है। इस वर्ष यात्रा शुरू होने से पहले ही इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं।

ये प्रभावी कदम बोर्ड के निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों द्वारा उठाने होगें और बोर्ड के निर्णय के कार्यान्वयन के बारे में किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा कोई हस्तक्षेप न किया जाए।''

एकल न्यायाधीश के इस आदेश के विरूद्ध जम्मू व कश्मीर राज्य द्वारा एक अपील दायर की गई थी। परन्तु इस निर्णय के इस भाग पर अपीलीय बोर्ड द्वारा स्थगन नहीं दिया गया था। 17–5–2005 को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें यात्रा के सम्बन्ध में कुछ निश्चित निर्देशों का उल्लेख है। यह शंका प्रकट की गई थी कि श्राइन बोर्ड आवंटित की गयी भूमि को किसी तीसरे पक्ष को हस्तातंरित कर देगा। डिवीजन बेंच ने इसे स्पष्ट करते हुए अंतरिम आदेश में कहा कि :

''बोर्ड द्वारा आवंटित भूमि इसके उपयोगकर्ताओं के इस्तेमाल के लिए होगी और यात्रा की अवधि तक आवंटित रहेगी। बोर्ड 'लंगर,' पहले से तैयार (प्री–फ्रेबिकेटिड) शिविरों और शौचालय आदि बनाने के उद्देश्य से जगहों को चिन्हित करेगा जोकि स्थायी नहीं होगी और यात्रा पूरी होने के बाद उसे हटाया जा सकेगा। बोर्ड उन व्यक्ति/एजेंसी की पहचान करेगा जिनको यह स्थान आवंटित किया जाएगा ताकि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति/एजेंसी की गतिविधियों की जांच कर सके........''

अतः यह स्पष्ट है कि अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटित करने का अपना दायित्व निभायेगी। श्राइन बोर्ड इसे यात्रा की अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष को अस्थायी और प्री–फ्रेबिकेटिड ढांचा बनाने के उद्देश्य से दे सकता है ताकि तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

उपरोक्त हालात कानून की वर्तमान स्थिति और न्यायिक आदेश हैं। क्या कोई इस पर विवाद कर सकता है कि प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित कानून लागू नहीं किया जाना चाहिए? क्या भारत सरकार या राज्य के राज्यपाल के पास न्यायिक आदेश को क्रियान्वित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प है?

कानून और न्यायालय के आदेश को संयुक्त रूप से पढ़ने पर एक साफ निष्कर्ष निकलता है। यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध करना श्राइन बोर्ड का कर्तव्य है। सरकार को श्राइन बोर्ड को उपयोगकर्ताओं के लिए भूमि देनी होगी। श्राइन बोर्ड यात्रा की अवधि के दौरान दूसरों से अस्थायी ढांचा खड़ा करने का अनुरोध कर सकता है। केबिनेट द्वारा वापस लिया गया आदेश मुख्यतः कानून और न्यायिक निर्देशों के क्रियान्वयन की अपेक्षा करता है।

राज्यपाल द्वारा श्राइन बोर्ड को आवंटित भूमि सरकार को वापिस करने का निर्णय 'जम्मू व कश्मीर श्राइन बोर्ड अधिनियम' के प्रावधानों के विरूद्ध है। बोर्ड के चेयरमैन के रूप में राज्यपाल को बोर्ड के अधिकारों को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। बोर्ड से परामर्श न करके उन्होंने कानून के विरूद्ध काम किया है। बोर्ड को भूमि उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत दी गयी थी। बोर्ड को आवंटित भूमि को निरस्त करने का निर्णय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन है और 15–4–2005 तथा 17–5–2005 के आदेशों की अवमानना है।

क्या भारत सरकार का यह पक्ष है कि अलगाववादियों के दबाव में न्यायालयों के वैधानिक आदेशों और कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता? क्या सरकार की यह धारणा है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को सुविधाएं देने की अनुमति नहीं दी जा सकती और कानूनी अधिकार–सम्पन्न श्राइन बोर्ड की अपेक्षा राज्य धार्मिक स्थलों के मामलों का संचालन करेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने जम्मू के लोगों के राष्ट्रवादी मानस, जिसे देश के मजबूत जनमत का समर्थन प्राप्त है, को समझने में भूल की है । इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सरकार राष्ट्रवादियों को अलग–थलग करने में सफल हुई है। सरकार ने स्पष्ट रूप से यही राजनीतिक पाप किया है। न्यायालय के आदेशों को लागू करने की जरूरत है। कानून का आदेश मानने की जरूरत है। तीर्थयात्रियों के संविधान में प्रदत्त धार्मिक अधिकारों को प्रभावी बनाने की जरूरत है। राष्ट्रवादियों की भावनाओं को दबाने की बजाए मजबूत करने की जरूरत है। अभी भी बहुत देर हो चुकी है। सरकार के संकुचित व्यवहार और समाधान ढूंढने में कछुआ चाल ने स्थिति को और बिगड़ने दिया है। अभी बहुत देर हो चुकी है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह तुरन्त कार्यवाही करे और मंत्रिमंडल के वास्तविक आदेशों, जो कानून और न्यायिक आदेशों को लागू करने की बात करता है, को पुनः लागू करे।

आपका

(लालकृष्ण आडवाणी)

सम्मानीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली